न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।

निगरानी संख्या– 115/2009–10

श्री जगदीश प्रसाद
बनाम
श्री रमेश चन्द तिवाड़ी आदि

उपस्थितिः श्री सुभाष कुमार, आई0ए0एस0, अध्यक्ष।

बावत
खाता संख्या–99, खेत संख्या–55 रकबा 0.1800
एवं खाता संख्या 71 खेत संख्या–53 रकबा 0.3990 है0
मौजा ढ़ालवाला, पट्टी धमान्दस्यूं, तहसील नरेन्द्रनगर,
जनपद टिहरी गढ़वाल।

आदेश

यह निगरानी निगरानीकर्ता ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, नरेन्द्रनगर, टिहरी गढ़वाल द्वारा वाद संख्या– 30/2007 अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम रमेश चन्द आदि बनाम जगदीश प्रसाद आदि में पारित आदेश दिनांक 05–05–2010 के विरूद्व योजित की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि के बावत प्रतिपक्षी रमेश चन्द आदि ने सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, नरेन्द्रनगर के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा–229बी जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम प्रस्तुत किया गया। इस वाद में निगरानीकर्ता जो अवर न्यायालय के प्रतिवादीगण हैं ने इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि पटवारी द्वारा मौके पर जिन गवाहान के बयान लिये गये हैं, उनका प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्रदान किया जाय। सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, नरेन्द्रनगर ने निगरानीकर्ता का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 05–05–2010 से इस आशय से अस्वीकृत किया कि निरीक्षण हेतु मौके पर गये पटवारी का परीक्षण दोनों पक्षों द्वारा किया जा चुका है, अतः मौका निरीक्षण किए जाने वाले कर्मचारियों का परीक्षण किए जाने का कोई औचित्य नहीं है। इस आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता ने यह निगरानी योजित की है।

इस निगरानी में आज अधिवक्ता निगरानीकर्ता की ओर से उनके कनिष्ठ अधिवक्ता ने तिथि स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने तर्क दिया कि निगरानी काफी समय से लम्बित है और विगत चार–पाँच तिथियों से निगरानीकर्ता की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है। निगरानीकर्ता अनावश्यक रूप से निगरानी को लम्बित रखना चाहते हैं।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि जिस आदेश के विरूद्व निगरानी योजित की गई है वह अन्तरिम आदेश है और उस आदेश से पक्षकारों के अधिकारों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। अभी पक्षकारों को अवर न्यायालय में साक्ष्य एवं

सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने यह भी तर्क दिया कि निगरानी के लम्बित रहने से अवर न्यायालय में विचाराधीन घोषणात्मक वाद का निस्तारण नहीं हो पा रहा है। अतः निगरानी निरस्त की जाय।

निगरानी प्रार्थना पत्र एवं अवर न्यायालय की वाद पत्रावली तथा आक्षेपित आदेश दिनांक 05–05–2010 का अवलोकन किया गया। निगरानीकर्ता ने अपनी निगरानी में मुख्य रूप से यह तर्क दिया है कि अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता को राजस्व निरीक्षक व कथित गवाहों से जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया है।

आदेश के प्रथम दृष्टया अवलोकन से ही यह स्पष्ट होता है कि यह आदेश अन्तरिम आदेश है जिससे मात्र निगरानीकर्ता को राजस्व निरीक्षक व गवाहों से जिरह का अवसर प्रदान नहीं किया गया है। इस आदेश से पक्षकारों का स्वत्व का निर्धारण नहीं होता है। इस न्यायालय में निगरानी के लम्बित रहने से अवर न्यायालय में योजित घोषणात्मक वाद की कार्यवाही वर्ष 2010 से लम्बित है। विधि में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है। अवर न्यायालय में अभी पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है। अतः निगरानी बलयुक्त न होने के कारण अस्वीकृत किए जाने योग्य है।

तदनुसार निगरानी बलयुक्त न होने के कारण अस्वीकार की जाती है।

दिनांकः 21 अप्रैल, 2014

(सुभाष कुमार)
अध्यक्ष,
राजस्व परिषद।